



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272504  
CG-DL-E-13052026-272504

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2316]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2316]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2408(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 के कि.मी 0.000 से कि.मी 38.000 तक कबरई से बाँदा खण्ड के 4/6 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य के हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) स्तम्भ (5) स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों, और ग्रामों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट खण्ड के सम्बन्ध में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद द्वारा सक्षम प्राधिकारी, के रूप में प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 के कि.मी 0.000 से कि.मी 38.000 तक कबरई से बाँदा खण्ड के 4/6 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य के हेतु भूमि अर्जन ।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH35 के कि.मी 0 से कि.मी 13.7 तक	उत्तर प्रदेश	महोबा	महोबा	1 सिरसी कलां 2 पचपहरा 3 गौहारी 4 कबरई 5 बघवा 6 रिवाई सुनेचा 7 सुकौरा 8 नहदौरा माफ 9 पहरा 10 मोचीपुरा बाहर
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाँदा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH35 के कि.मी 13.7 से कि.मी 38 तक	उत्तर प्रदेश	बाँदा	बाँदा	1 मवाई बुजुर्ग 2 कनवारा बांगर 3 महोखर 4 जमनीपुर 5 हरदौली 6 पल्हरी 7 गुरेह 8 भुरेंडी 9 सिलेहटा 10 गोयरा मुगली 11 खैराडा 12 मटौंध ग्रामीण 13 दुरेडी 14 कनवारा खादर 15 बडोखर खुर्द 16 तिन्दवारा

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-35/2026-27]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

**S.O. 2408(E).**—Inexercise of the powers conferred by clause(a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956),the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column(2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette,in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column(3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluka and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for **proposed Widening to 4/6 lane of Kabrai-Banda section of NH-35 from km. 0.000 to km. 38.000 in the State of Uttar Pradesh.**

**SCHEDULE**

**Land Acquisition of proposed Widening to 4/6 lane of Kabrai-Banda section of NH-35 from km. 0.000 to km. 38.000 in the State of Uttar Pradesh.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	ADM(F/R), Mahoba	NH35 KM 0 TO KM 13.7	UTTAR PRADESH	MAHOPA	Mahoba	1	Sirsi Kala
						2	Pachpahra
						3	Gauhari
						4	Kabrai
						5	Baghwa
						6	Rewai Sunecha
						7	Sukaora
						8	Nahdaora Maaf
						9	Pahra
						10	Mochipura Bahar
2	SLAO, Banda	NH35 KM 13.7 TO KM 38	UTTAR PRADESH	BANDA	Banda	1	Mawai Bujurg
						2	Kanwara Bangar
						3	Mahokhar
						4	Jamnipur
						5	Hardauli
						6	Palhari
						7	Gureh
						8	Bhurendi
						9	Silehata
						10	Goyara Mugali

						11	Khairada
						12	Mataundh Gramin
						13	Duredi
						14	Kanwara Khadar
						15	Badokhar Khurd
						16	Tindawara

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-35/2026-27]

SHAIKH AMINKHAN, Director